26-8-22

वसीम कायाम उप) प्रणावत ने TDR आवेदनी को विपोई प्राप्त हो चुकी है। TDR आवेदनी को अपनी विपोई में अवगत कराया है कि विवादित वक्फवा सम्बन्धित का कमिश्नर वर्ष 2002 के पूर्व में लगवा दिया है, कमिश्नर से आवास की समीक्षा करने, आवासी बनने व एक भूमि नक्शे बराबर होने के कारण मौके पर कोई मुआयना रिपोर्ट नहीं होने के कारण पत्रावली टीम द्वारा ई.टी. एस मशीन द्वारा ही करवाया जाना संभव है। TDR आवेदनी की विपोई का अवलोकन किया गया। सुनवाई विपोई तहसीलदार का कथन है कि कोई मुआयना रिपोर्ट नहीं होने के कारण पत्रावली ई.टी.एस मशीन द्वारा ही करवाया जाना संभव है। तथा कार्यालय पत्रावली हेतु नियमानुसार सेटलमेंट विभाग को आवेदन करने हेतु निर्देशित किया जाता है। प्र.प.न. बाबा करवाये जाने पश्चात् इसकी कार्यवाही किया जाना है। पत्रावली को मनोज कुमार होकर वाद तथ्यों सम्बन्ध के कम है।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Amit Kumar Verma
Date: 2022.10.06 17:56:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner